संख्या-231/ग्यारह-2-2016-9(66)/2001

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक:: 18 फरवरी, 2016

विषय: रूपये 40 लाख तक स्टाक रखने वाले टेंट व्यवसाईयों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गददा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के लिये रूपये चालीस लाख तक स्टाक रखने वाले टेंट व्यवसाईयों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गददा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रशपथ पत्र का प्रारूप कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार व प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-231/ग्यारह-2-2016-9(66)/2001 दिनांक 18 फरवरी, 2016 का संलग्नक।

रूपये 40 लाख तक स्टाक रखने वाले टेंट व्यवसाईयों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गददा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश ।

रू0 40 लाख तक स्टाक रखने वाले टेंट व्यवसाईयों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गददा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत समाधान योजना कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है :-

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये स्लैबवार समाधान राशि निम्नवत होगी:-

वित्तीय वर्ष	**एक लाख रू0 तक के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि**	**एक लाख रू0 से पाच लाख रू0 तक के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि**	**पाच लाख रू0 से दस लाख रू0 तक के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि**	**दस लाख रू0 से पन्द्रह लाख रू0 तक के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि**	**पन्द्रह लाख रू0 से पच्चीस लाख रू0 तक के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि**	**पच्चीस लाख रू0 से चालीस लाख रू0 तक के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि**
2015-2016	शून्य	रू0 12,500/-	रू0 39,500/-	रू0 66,300/-	रू0 1,75,300/-	रू0 2,83,000/-

(ख) इस समाधान योजना में व्यवसायियों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन,दरी, चादर, गददा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान सम्मिलित हैं। अत: उक्त सभी वस्तुओं को स्टाक में शामिल करते हुए समाधान राशि की गणना की जायेगी।

(ग) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन देय कर के विकल्प में समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प देने वाले टेंट व्यवसाईयों द्वारा कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा इस योजना को निर्गत किये जाने की तिथि के 45 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र निर्धारित समाधान राशि के जमा के ट्रेजरी चालान के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात विशेष परिसिथतियों में कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अगले 60 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा, लेकिन इस बढ़ायी गयी अतिरिक्त अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसाइयों द्वारा समाधान योजना की अवधि में न तो कर वसूल किया जायेगा और न ही टैक्स इन्वायस जारी किया जायेगा तथा ऐसे व्यवसाइयों को किसी प्रकार की आई0टी0सी0 की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(च) यह योजना केवल टेन्ट व्यवसाइयों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गददा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत देयकर के विकल्प के लिये ही अनुमन्य होगी तथा यदि किसी टेन्ट व्यवसायी द्वारा इन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री की जाती है अथवा अन्य वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री की जाती है तो ऐसी खरीद अथवा बिक्री पर नियमानुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत कर का दायित्व होगा।

(छ) वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसी व्यवसायी द्वारा समाधान राशि से अधिक की धनराशि नक्शारूपपत्र-24 के साथ स्वीकृत कर के रूप में जमा की गई है तो ऐसी अधिक धनराशि वापसी योग्य नहीं होगी।

(ज) समाधान योजना के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जाच के लिये स्वतंत्र होंगे। ऐसी जाच के समय टेन्ट व्यवसाइयों एवं उनके किसी प्रतिनिधि अथवा किसी कर्मचारी द्वारा जाच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा और जाच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। जाच में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा असहयोग करने की सिथति में प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा। ऐसा होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

(झ) जो व्यापारी समाधान योजना एक बार अपना लेंगे, उन्हें इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वे समाधान योजना का विकल्प समाधान राशि की शासन की गयी अग्रेतर वृद्धि की सिथति के अतिरिक्त अन्य सिथतियों में वापस ले सकें।

(ट) जो व्यापारी एक से अधिक जनपदों में कार्य करते है, वह अपने मुख्यालय की घोषणा संबंधित मुख्यालय के कर निर्धारक अधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे वाणिज्य कर अधिकारियों, जिनके क्षेत्र में उनका उप व्यापार स्थल सिथत है, को भी सूचित करेंगे। जिन व्यापारियों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो, ऐसे व्यापारी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी एक कार्य स्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे।

(ठ) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी।

(ड) विवादित बिन्दुओं पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ढ) वर्ष के दौरान समाधान योजना शासन द्वारा कभी भी पुनरीक्षित की जा सकती है या वापस ली जा सकती है। ऐसी दशा में समानुपातिक रूप से समाधान राशि देय होगी।

(ण) समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों द्वारा समाधान योजना प्रारम्भ की प्रथम तिथि को अपना स्टाक समाधान योजना के प्रार्थना पत्र के साथ घोषित किया जायेगा।

(त) समाधान प्रार्थना पत्र, शपथ पत्रअनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।